No such proposal is under consideration of the Government.

(b) and (c) Do not arise.

Non-deposit of Provident Fund Contributions of Employees of Hindustan Fertilizer Corporation

2408. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Provident Fund contributions of the employees of Hindustan Fertilizer Corpodation, Durgapur unit have not been deposited.

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action have been taken to regularise it?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) An estimated amount of Rs. 50.87 lakhs pertaining to the period from September 1992 to November 1992 is outstanding on account of PF dues against M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Durgapur.

(c) Necessary legal proceedings under Section 7A of the EPF & MP Act have been initiated by the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal.

Violation of Labour Laws by Public Sector Undertakings

2409. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the violation of labour laws by the public sector undertakings during the last year;

(b) if so, the details thereof and the action taken thereon; and

(c) what steps are being taken for the strict compliance of labour laws?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बीड़ी कर्मकारों के हितों की रक्षा

2410. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी कर्मकारों की राज्य वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन कर्मकारों के हितों की रक्षा हेतु कौन-कौन से कानून हैं और उन विभागों का ब्यौरा क्या है जो इन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कारखानों के अलावा अधिकतर बीड़ियां घरों में बनाई जाती हैं, क्या सरकार ने इन कर्मकारों के संबध में कोई सर्वेक्षण करवाया है ; यदि हां, तो इन कर्मकारों की संख्या कितनी है ;

(घ) सरकार द्वारा कारखानों तथा घरों में बीड़ी बनाने वाले कर्मकारों को दी जाने वाली मजदूरी की क्या दरें निर्धारित की गई हैं और यह मजदूरी किस प्रकार अदा की जाती है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि देश में बीड़ी कर्मकारों को कहीं भी निर्धारित दरों के आधार पर मजदूरी नहीं दी जाती है ; और

(च) राजस्थान में, विशेषकर करौली सवाई माधोपुर में, बीड़ी कर्मकारों के हितों की रक्षा न किये जाने के क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) देश में बीड़ी

कर्मकारों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण–क संलग्न है (**नीचे देखिए**)

(ख) बीड़ी कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिये विभिन्न श्रम कानूनों तथा उनके कार्यान्वयन के लिये उत्तर-दायी विभागों/एजेंसियों को दर्शाने वाला विवरण–ख संलग्न है (**नीचे देखिए**)।

(ग) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांशतः बीड़ियाँ घरों में ही बनायी जाती है तथापि, ऐसे घरेलू कर्मकारों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है।

(घ) बीड़ी उद्योग में नियोजित कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित करने के लिये राज्य सरकारें समुचित प्राधिकरण है। कारखाने तथा घरेलू कर्मकारों के लिये दरें समान ही हैं। ब्यौरा विवरण–ग में दिया गया है (**नीचे देखिये**)

(ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के लिये राज्य सरकार "समुचित सरकार" है तथा जब इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किये जाने की सूचना मिलती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(च) स्वास्थ्य, बजीफे, प्रसूति लाभ आदि से संबंधित कल्याणकारी सुविधायें प्रदान करके करौली तथा सवाई माधोपुर सहित राजस्थान में बीड़ी कर्मकारों के हितों की रक्षा की जा रही है।

विवरण–क

30-9-1992 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार बीड़ी कर्मचारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

सं०	राज्य	बीड़ी कर्मकारों की संख्या
1	कर्नाटक	3,55,244
2	केरल	1,21,331
3	उत्तर प्रदेश	4,50,000
4	राजस्थान	2,79,000
5	गुजरात	2,03,000
6	उड़ीसा	1,60,000
7	पश्चिमी बंगाल	4,50,000
8	त्रिपुरा	0,05,000
9	असम	0,07,725
10	आंध्र प्रदेश	6,00,000
11	तमिलनाड्	6,00,000
12	मध्य प्रदेश	6,00,000
13	महाराष्ट्र	2,50,000
14	बिहार	3,91,500
	कुल	44,72,800

विवरण–ख

बीड़ी उद्योग के लिये लागू श्रम कानूनों तथा उनके कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों के नाम दर्शाने वाला विवरण

क्रम० सं०	अधिनियम का नाम	कार्यान्वित करने वाला विभाग/एजेंसी
1	2	3
1	बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	केन्द्रीय सरकार
2	बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	राज्य सरकारें
3	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (औद्योगिक परिसरों में कर्मकारों के लिये लागू)	राज्य सरकारें
4	न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम, 1948	राज्य सरकारें
5	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	राज्य सरकारें
6	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	राज्य सरकारें
7	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (प्रत्येक औद्योगिक परिसर में उत्पन्न होने वाले मामलों में लागू होगा)	राज्य सरकारें
8	कारखाना अधिनियम, 1948 (अध्याय–4 धारा 85 औद्योगिक परिषदों के लिये लागू होगी)	राज्य सरकारें
9	बाल श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1976	राज्य सरकारें
10	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923	राज्य सरकारें
11	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	राज्य सरकारें
12	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1956	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
13	कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1948	कर्मचारी राज्य बीमा निगम

विवरण–ग

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तम्बाकू/बीडा/सिगार/उद्योग में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

क्रम० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1000 बीड़ी बनाने के लिये न्यूनतम मजदूरी (निम्नलिखित तारीखों से निर्धारित)	कुल न्यूनतम मजदूरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	**सादी बीडी** क्षेत्र–I– 18.65 रु० क्षेत्र–II– 17.85 रु० **मध्यम आकार की बीडी** क्षेत्र–I– 17.85 रु० क्षेत्र–II– 17.10 रु० (30–3–92) **सादा बीडी** क्षेत्र–I– 17.16 रु० क्षेत्र–II– 16.70 रु०	**जादी बीड़ी** क्षेत्र–I– 18.65 रु० क्षेत्र–II– 17.85 रु० **मध्यम आकार की बीडी** क्षेत्र–I– 17.85 रु० क्षेत्र–II– 17.10 रु० **सादा बीडी** क्षेत्र–I– 17.15 रु० क्षेत्र–II– 16.70 रु०
2.	असम	25.00 रु० (1–8–89)	27.60 रु०
3.	बिहार	(i) निगम क्षेत्र : 19.00 रु० (ii) जिला मख्यालय एवं म्यू-निसिपल क्षेत्र : 17.50 रु० (iii) अन्य 16.00 रु० (22–6–89)	(i) निगम क्षेत्र : 19.00 रु० (ii) जिला मुख्यालय एवं म्यू-निसिपललेत्र : 17.50 रु० (iii) अन्य क्षेत्र 16.00 रु०
4.	दादरा एवं नगर हवेली	7.25 रु० से 13.45 रु० (2–2–87)	7.25 रु० से 13.45 रु०
5.	गुजरात	क्षेत्र–I– 15.25 रु० क्षेत्र–II– 14.90 रु० (1–8–89)	क्षेत्र–I– 31.30 रु० क्षेत्र–II– 30.95 रु०
6.	कर्नाटक	23.70 रु० (वर्तमान)	
7.	केरल	31.70 रु० (वर्तमान)	
8.	मध्य प्रदेश	14.90 रु० (14–9–89)	14.00 रु० (गारन्टीकृत न्यूनतम मजदूरी 78/– रु० प्रति सप्ताह)

1	2	3	4
9.	महाराष्ट्र	क्षेत्र–I– 20.35 रु० क्षेत्र–II– 16.00+4.95 (वर्तमान)	
10.	उड़ीसा	25.00 प्रतिदिन (1–7–90)	25.00 रु०
11.	राजस्थान	22.00 प्रतिदिन (2–7–90)	25.00 रु०
12.	तमिलनाडु	**जादी बीड़ी** 330.00 प्रतिमाह **लादा बीड़ी** 13.05 रु० 1000 बीड़ियों के लिये (3–4–91)	**जादी बीड़ी** 700.00 रु० प्रतिमाह **सा ा बीडी** 17.90 रु०
13.	त्रिपुरा	14.30 रु० (28–12–90)	14.30 रु०
14.	उत्तर प्रदेश	20/– रु० प्रति 1000 बीड़ियों के लिये } वर्तमान	
15.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता और 24 परगना } 42.43 रु० हावड़ा } 37.89 रु० अन्य जिले } 36.83 रु०	वर्तमान

Pressure from America for abolition of child labour

2411. SHRI B. K. HARIPRASAD: will the Minister of LABOUR be pleased to satte:

..(a) whether Government are aware that an activist lobby in the United States is clamouring for a bill to be introduced in the Senate to put a stop to providing a market for goods produced through child labour;

(b) if so, what are the contents and implication of this bill to India where more than 44 million children are engaged as labourers; and

(c) whether Government will, even without an American threat of trade boycott, initiate moves and enact legislation to abolish child labour?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) As per the information received from the Embassy of India, Washington there is a move by Senator Tom Harkin to reintroduce a Bill which had lapsed in October, 1992. The Bill is designed to prevent importation into US of any goods produced in any country through the use of child labour. It envisages identification of specific industries and countries for such prohibition and restricting imports thereof to goods certified by US importers as being free from child labour.

(c) Legislation prohibiting engagement of child labour in specified areas already exists.